संख्या:3/2018/228/पैंतीस-2-2018-3/39(108)/2011

प्रेषक,

आर0एन0एस0यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 26 मार्च,2018**

विषय- **कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, मिर्जापुर तथा संत कबीरनगर के निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर नये वाहन का प्रतिस्थापन किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 234/ले0-63/2017, दिनांक 09.03.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी मिर्जापुर तथा संत कबीरनगर के क्रमश: निष्प्रयोज्य वाहन संख्या: यू0एच0जेड0-2736 तथा यू0पी0 51 डी0-7484 के प्रतिस्थापन के फलस्वरूप नये वाहन क्रय करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वाहनो के निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के फलस्वरूप आपसे प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त 02 नये वाहन माडल संख्या: SUMO GOLD EX BS IV PS With AC Diesel jeep जिसका डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट प्रति वाहन लागत सभी कर सहित रू0 6,51,794/-, कुल लागत रू0 13,03,588/-(रू0 तेरह लाख तीन हजार पांच सौ अटठासी मात्र) है, क्रय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है :-

(1) प्रतिस्थापन स्वरूप क्रय किये जाने वाले प्रश्नगत वाहनों एवं उसकी सामग्री की गुणवत्ता एवं न्यूनतम दर सुनिश्चित करने का दायित्व अर्थ एवं संख्या प्रभाग का होगा।
(2) प्रश्नगत वाहन जिसकी नीलामी हुई है, वह राजकीय वाहन है तथा वाहन के प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
(3) प्रश्नगत वाहन का क्रय, निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुए किया जायेगा।
(4) प्रश्नगत वाहनों का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही जी0ई0एम0 पोर्टल की दरे अथवा नवीनतम डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरे जो भी न्यूनतम हो और लागू हो पर किया जायेगा।
(5) निष्प्रयोज्य घोषित वाहन के स्थान पर प्रतिस्थापन स्वरूप पूर्व में अन्य वाहन क्रय नहीं किया गया है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-अर्थ एवं संख्या निदेशालय के अधीन मद-14- मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-5-421(1)/दस-2018, दिनांक 26 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:3/2018/228(1)/पैतीस-2-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।